# उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,

विश्वविद्यालय परिसर, शान्तिपुरम (सेक्टर – एफ), फाफामऊ, प्रयागराज – 211021

विज्ञापन संख्याः 42/2021 दिनॉकः 08–07–2021

## अल्पकालीन निविदा सूचना

विश्वविद्यालय प्रयोगार्थ किराये के वाहन आपूर्ति हेतु सक्षम फर्मों से एतद्द्वारा दिनांक 28/07/2021 को पूर्वान्ह 11:00 बजे तक **ई–निविदा** के माध्यम से निविदायें आमंत्रित की जा रहीं, जो उसी दिन अपराह्न 03:00 बजे खोली जायेगी। इच्छुक निविदादाता निविदा के नियम व शर्तों सम्बन्धी विस्तृत विवरण/प्रपत्र विश्वविद्यालय बेवसाइट www.uprtou.ac.in से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है।

**कुलसचिव**

# U.P. Rajrshi Tandon Open University, Prayagaraj

## Technical Bid Check List Format of Rental vehicles supply

All Prospective bidders are hereby instructed to arrange and submit all required documents as per the terms and conditions and must mention the page numbers against each columns of the check list. They should also put the page number and sign with stamp on each paper submitted with the tender.

| Sl.N. | Name of Document | Yes/No | Page No. | |
|---|---|---|---|---|
| | | | From | To |
| 1. | Registration Certificate of the firm. | | | |
| 2. | GST Registration no. and Certificate Photocopy. | | | |
| 3. | E.P.F Registration no. and Certificate Photocopy. | | | |
| 4. | Non Conviction/Black listed Certificate on Rs 100/- Stamp Paper | | | |
| 5. | Tender Fee & Ernest Money Deposited Details | | | |
| 6. | Last 03 Year Income Tax Return Certificate. | | | |
| 7. | Minimum 03 work in 03 Years, Work performances experience relevant in Govt. /Semi Govt./ University institutions. | | | |
| 8. | Last 3 Year turnover average Rs. 25.0 Lacks, and Auditing Balance Sheet of last 3 Year. | | | |
| 9. | Full address, Email ID and phone no of firm. All documents with tender form should be neat and clean and readable. | | | |
| 10. | Other documents, if any required. | | | |

Note: If tender is not submitted in above manner by the Bidder, bid maybe treated as non-responsive & liable to be technically rejected.

Signature of Bidder with seal

# उ. प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

दिनांक–

निविदा मूल्य रु. 3000/–

**निविदा फार्म जमा/अपलोड करने की अंतिम तिथि:**

**दिनाँक 28/07/2021**

पूर्वान्ह – 11:00 बजे तक

निविदा खोले जाने की तिथि एवं समय : दिनाँक**28/07/2021**

अपराह्न – 03:00 बजे

**विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, विभिन्न कार्यक्रमों एवं अधिकारियों के प्रयोगार्थ किराये पर वाहन की आपूर्ति हेतु आमंत्रित ई–निविदा से सम्बन्धित आवश्यक सूचनाएं एवं अर्हताएं (शर्तें)**

विश्वविद्यालय की परीक्षाओं से सम्बन्धित विभिन्न कार्यो एवं विभिन्न आयोजनों के दौरान समय–समय पर मांग के अनुसार किराये पर वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु पंजीकृत/सक्षम फर्मो से ऑनलाइन ई–निविदायें दिनांक 28/07/2021 को पूर्वान्ह 11.00 बजे तक ऑनलाइन ई–निविदा http://etenderup.nic.in आमंत्रित की जा रही है, जो उसी दिन अपरान्ह 03.00 बजे विश्वविद्यालय कमेटी कक्ष में ऑनलाइन खोली जायेगी। निविदादाता निविदा प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट http://uprtou.ac.in. एवं http://etenderup.nic.in से डाउनलोड/प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र शर्तें एवं अन्य विवरण, वि0वि0 की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

**निविदा सम्बन्धी आवश्यक शर्ते एवं निर्देशः–**

1. योजित ट्रैवेल्स एजेंसी द्वारा निविदा शुल्क के रूप में रू. 3000/– एवं अर्नेस्ट मनी के रूप में रू0 20,000/– (रूपये बीस हजार मात्र) को विश्वविद्यालय के खाता (A/C No. **86020100001623**, A/C Name. Finance officer U.P.Rajrshi Tandon Open University, Prayagaraj , BANK of Baroda, IFS Code:BARB0VJRTOU) में पृथक–पृथक रूप से जमा कर आर.टी.जी.एस. (RTGS) के माध्यम से जमा/स्थानान्तरित कर RTGS Receipt को निविदा के तकनीकी प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा उसकी निविदा पर विचार किया जाना सम्भव न होगा। निविदा शुल्क की धनराशि रू. 3,000/– वापस नहीं की जायेगी।
2. समस्त निविदा प्रपत्र निम्न निर्देशों के अनुसार भरने होंगे :– ई–बिड को दो भागों में प्रथम तकनीकी बिड एवं द्वितीय वित्तीय बिड के सभी पृष्ठों पर निविदादाता के हस्ताक्षर, दिनांक और मुहर लगने के बाद पृथक–पृथक पूर्ण रूप से भरकर उसे स्पष्ट रूप में स्कैन करके pdf file बनाकर ई–निविदा की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा तथा उन्हीं **तकनीकी बिड के समस्त प्रपत्रें को जो अपलोड किये गये हैं की मूल प्रति (हार्ड कॉपी) सील बन्द**

**लिफाफें में निविदा खुलने की निर्धारित तिथि एवं समय दिनांक–28/07/2021 को पूर्वानह 11.00 बजे तक कुलसचिव कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।**

3. निविदा स्वीकार होने पर विश्वविद्यालय द्वारा निविदा के आधार पर योजित ट्रैवेल्स एजेंसी द्वारा रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर वित्त अधिकारी, उ. प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज से अनुबन्ध करना होगा तथा विश्वविद्यालय कोष (खाते) में रू. 1,00,000/– (एक लाख रूपये मात्र) की बैंक गारन्टी/एफ.डी.आर./आर.टी.जी.एस. के माध्यम से, जमानत की धनराशि जमा करना होगा। जिसे अनुबन्ध अवधि की समाप्ति एवं संतोषजनक कार्य पूर्ण होने पर वापस किया जायेगा।
4. तकनीकी प्रपत्र में 100 रूपये के स्टाम्प पर नॉन कन्विक्शन सर्टीफिकेट तथा कभी भी ब्लैक लिस्ट न होने का शपथ पत्र संलग्न कराना अनिवार्य है।
5. उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन का वाणिज्यिक पंजीकरण व कम्प्रीहैंसिव बीमा अद्यतन होना अनिवार्य है, जिसके साक्ष्य हेतु प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना है।
6. कार्यादेश के अनुसार योजित वाहन के चालक को सम्पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए। चालक के पास नवीनीकृत ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।
7. योजित अवधि में वाहन का रख–रखाव तथा उस पर आने वाला सम्पूर्ण व्यय एजेंसी को वहन करना होगा।
8. गाड़ी के पंजीकरण, बीमा, चालक का वेतन, लाइसेंस आदि का समस्त उत्तरदायित्व एजेंसी का होगा।
9. प्रत्येक चरण के कार्य समाप्ति के पश्चात् अनुबन्ध के अनुरूप बिल प्रस्तुत करने होगें तथा अलग–अलग कार्य का अलग–अलग बिल प्रस्तुत करना होगा। वाहन मूवमेंट चालान एवं बिलों में सम्बन्धित कार्यों का विधिवत उल्लेख एवं प्रमाणन अनिवार्य रूप से करना होगा एवं बिल, सम्बन्धित अधिकारी/सहायक द्वारा सत्यापित होना चाहिए।
10. एजेन्सी द्वारा PAN , GST एवं Latest आयकर रिटर्न दाखिल करने का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।
11. एजेंसी को किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी/विश्वविद्यालय में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र/साक्ष्य Principal Employer द्वारा निर्गत ही मान्य होगा तथा इसे संलग्न करना अनिवार्य होगा।
12. ट्रैवेल्स एजेंसी के पंजीकरण प्रमाण–पत्र, सर्विस टैक्स पंजीकरण एवं जी.एस.टी.एन. में पंजीकरण आदि की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
13. ट्रैवेल्स एजेंसी का गत तीन वर्षों में टर्न ओवर औसत रूप से न्यूनतम 25.00 लाख का होना अनिवार्य है।
14. ट्रैवेल्स एजेंसी के स्वामित्व में कितनी गाड़ियां हैं, उनका विवरण तथा स्वामित्व के अभिलेख भी संलग्न करना अनिवार्य है। विश्वविद्यालय की मांग के अनुसार अच्छी गाड़ी उपलब्ध न कराने पर रू. 200/– प्रतिदिन प्रति वाहन की दर से दण्ड के रूप में वसूल किया जायेगा।
15. भार–वाहनों की दरें परिवहन विभाग द्वारा स्वीकृत भार–क्षमता की दरें उल्लिखित की जायेगी। किसी भी दशा में अधिक लोडिंग की अनुमति नही दी जायेगी।
16. डीजल चलित ही वाहनों की दरें मेक के साथ ए.सी. व नॉन ए.सी. अलग–अलग दी जायेंगी।
17. टोल टैक्स की रसीद प्रस्तुत करने पर ही विश्वविद्यालय द्वारा देय होगा।
18. आदेशित वाहनों की आपूर्ति समय से न करने, गुणवत्ता खराब पाये जाने पर अन्य फर्म से कार्य कराये जाने एवं धरोहर धनराशि जब्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय में सुरक्षित रहेगा।
19. वाहनों के प्रयोग की आंतरिक एवं वाहय दरें पृथक–पृथक भरी जायेंगी।
20. परिवहन विभाग के नियमानुसार वर्ष जनवरी 2016 से पंजीकृत वाहनों को ही कार्यादेश के अनुसार, स्वीकार किया जायेगा।

21. निविदा के साथ संलग्न किये जा रहे समस्त प्रपत्रें को निविदादाता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।
22. भार–वाहन से सम्बन्धित वाहनों की दर का उल्लेख सम्बन्धित वाहन की भार–क्षमता जो परिवहन विभाग द्वारा स्वीकृत है, सहित करना होगा। किसी भी दशा में अधिक लोडिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी।
23. भार–वाहक वाहनों से सामान्यतया विश्वविद्यालय की परीक्षा में नोडल केन्द्रों/परीक्षा केन्द्रों पर कोरी उत्तर पुस्तिकायें पहुँचाई जायेगी तथा परीक्षा समाप्ति पर उन लिखित उत्तर पुस्तिकाओं को नोडल केन्द्र/परीक्षा केन्द्र से मगांने का कार्य लिया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर अन्य कार्यों हेतु आदेशित किया जायेगा।
24. परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को ले जाना तथा वापस लाना एक महत्वपूर्ण और गोपनीय कार्य है अतएव इस कार्य में विलम्ब या असावधानी क्षम्य नहीं होगा तथा किसी भी चूक के लिए ट्रैवेल्स एजेंसी पूर्णतः उत्तरदायी होगी। विश्वविद्यालय की सूचना के आधार पर अल्प समय में ही आवश्यकतानुसार वांछित मेक का वाहन उपलब्ध कराना होगा, जितने वाहन की आवश्यकता होगी।
25. किसी भी चूक/उत्तरदायी कृत्य के लिए दण्ड स्वरूप प्रथमतः जमा सुरक्षा धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा ट्रैवेल्स एजेंसी का पंजीकरण समाप्त करवाने की कार्यवाही प्रचलित की जायेगी तथा एजेंसी को काली सूची में डाल दिया जायेगा।
26. विश्वविद्यालय को हानि (आर्थिक/प्रतिष्ठा) की स्थिति पहुंचाने की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही भी की जायेगी तथा हानि की प्रतिपूर्ति के लिए एजेंसी की सम्पत्ति से तथा अन्यथा की स्थिति में एजेंसी के स्वामी से वसूली की कार्यवाही की जायेगी। हानि के आँकलन के लिए विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति द्वारा गठित समिति की अनुशंसा पर इस संबंध में कार्यवाही की जायेगी।
27. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंधन होने की दशा में अथवा निविदा में माँगे गये किसी भी प्रपत्र के अभाव में निविदा स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
28. BOQ में वर्णित लोडर वाहनों की दरों को केवल नॉन ए.सी. के कालम में भरना होगा, ए.सी. के कॉलम में 0 (शून्य) भरना होगा, नॉन ए.सी. के कालम में भरी गयी दरें ही मान्य होंगी।
29. निविदा की अवधि अनुबन्ध की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा।
30. विश्वविद्यालय के माननीया कुलपति जी को यह अधिकार है कि वह एक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये, कभी भी किस भी स्तर पर निरस्त कर दें। किसी भी प्रकार से अपूर्ण निविदा स्वीकार नहीं होगी।
31. निविदा सम्बन्धी किसी भी सूचना/इन्क्यायरी हेतु दूरभाष संख्या **7525048031,7525048061,7525048038** पर सम्पर्क कर सकते हैं।
32. विश्वविद्यालय के विरूद्ध संस्थित होने वाला कोई भी वाद केवल प्रयागराज नगर परिक्षेत्र के न्यायिक क्षेत्रधिकार में ही स्वीकार होगा तथा किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में विश्वविद्यालय के माननीया कुलपति जी का निर्णय अंतिम होगा तथा उभय पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

दिनांकः

निविदादाता के हस्ताक्षरः

फर्म की मोहरः